रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 16, 1978/पौष 26, 1899
No. 18] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 16, 1978/PAUSA 26, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1978

का० आ० 19(अ)/18 चख/उ० वि० वि० अ/78.—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क ख की उप धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 37(अ)/18 चख/उ० वि० वि० अ/75, तारीख 17 जनवरी, 1975 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, न्यायी आदेशों या अन्य लिखतों का प्रवर्तन (उनसे भिन्न जिनका संबंध बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से है) जिनका मेसर्स मोटर और मशीनरी मैनुफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता

नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हो सकते हैं, उस तारीख से एक वर्ष की अवधि तक निलम्बित रहेंगे और उस तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि तक निलम्बित रहेंगे;

और उक्त आदेश की अवधि को 16 जनवरी, 1978 तक के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि को एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश की अवधि को एक वर्ष के लिए और बढ़ाती है ।

[फा० सं० 2/9/74-सी यू सी]

जी० वी० रामकृष्ण, अपर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 16th January, 1978

S.O. 19(E)/18FB/IDRA/78.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 37(E)/18FB/IDRA/75 dated the 17th January, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs. Motor and Machinery Manufacturers Limited, Calcutta, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas the duration of the said Order was further extended upto the 16th January, 1978;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period of one year.

[File No. 2/9/74-CUC.]

G. V. RAMAKRISHNA, Additional Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978